उ0प्र0 शासन
नगर विकास अनुभाग–7
संख्या–114एम0यू/नौ–7–14–64(लखनऊ)/2014
लखनऊः दिनांक– 21 मार्च 2014

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में इण्टरलाकिंग व नालियों के निर्माण के संबंध में लगातार गम्भीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं यथा कहीं–कहीं इण्टरलाकिंग सड़कों का दुबारा भुगतान कर दिया गया है, जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है ; बहुत सी ऐसी सड़कें, जो पहले से ही सी.सी. रोड के रूप में निर्मित थीं, वहॉ रेत बिछाकर इण्टरलॉकिंग सड़के बना दी गयी हैं ; बिना बेस बनाये ही इण्टरलॉकिंग टाईल्स बिछा दी गयी हैं और बेस को केवल अभिलेखों में दिखाकर उसका भुगतान कर दिया गया है आदि। यह भी शिकायतें मिली हैं कि सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता अत्यन्त ही निम्न स्तर की है और इन टाइल्स में रेत और कम सीमेन्ट की मात्रा मानक के अनुरूप नहीं हैं, फलस्वरूप निर्माण के दौरान ही टाइल्स के किनारे टूटे हुए पाये जाते हैं और कहीं–कहीं तो पूरे टाइल्स ही टूट जाती हैं।

2. उक्त के संबंध में शासनादेश संख्याः 114एम./नौ–7–14–64(लखनऊ) /2014, दिनांक 19 मार्च,2014 द्वारा गठित समिति द्वारा नगर निकायों द्वारा निर्मित इण्टरलॉकिंग की जांच यत्र–तत्र रैण्डम रूप से की जायेगी। प्रदेश के समस्त मण्डलों के जनपदों में नगर निकायों एवं डूडा द्वारा लगाये गये इन्टरलाकिंग के कार्यों की गहनतापूर्वक व्यापक जांच हेतु एतद्द्वारा मण्डल स्तर पर निम्न प्रकार से समिति गठित की जाती है–

1.	मण्डलायुक्त द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर	– अध्यक्ष
2.	जिन जनपदों में नगर निगम है वहॉ उप/सहायक नगर आयुक्त,नगर निगम तथा अन्य जनपदों में मुख्यालय के नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी	–सदस्य सचिव
3.	सी.एण्ड डी.एस. का मण्डल स्तर के अधिशासी अभियंता	– सदस्य
4.	जिस जनपद में नगर निगम है वहॉ नगर निगम के अधिशासी अभियंता के अनिम्न स्तर का अभियंता तथा अन्य जनपदों में मुख्यालय के नागर निकाय का वरिष्ठतम् अभियंता	– सदस्य

3. उक्त समिति से निम्नवत् अपेक्षा की जाती हैः–

1. मण्डल स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा संबंधित मण्डल के समस्त जनपदों के नगर निकाय व डूडा के इण्टरलॉकिंग संबंधी कार्यों की जांच की जायेगी।
2. नगर निकाय/डूडा की ऐसी सड़के जो प्रथम दष्ट्या अधोमानक एवं घटिया सामग्री से बनी इण्टरलॉकिंग टाइल्स से निर्मित हैं तो, उन टाइल्स का नियमानुसार वीडियों रिकार्डिंग कराते हुए सैम्पल लिया जाये।
3. इण्टरलॉकिंग टाइल्स को निकाल कर नियमानुसार उन्हें कपड़े में लॉख से सील बन्द किया जाये तथा कपड़े पर जाँच तथा सम्बन्धित निकाय के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

4. इस प्रकार एक माह में प्रतिदिन एक नगर निकाय में तीस स्थानों से सड़क निर्माण में प्रयुक्त टाइल्स के नमूने लेकर उनकी वीडियों रिकार्डिंग को सुरक्षित रखते हुए जॉच की प्रक्रिया सम्पन्न की जाये।
5. उपरोक्त जांच समिति द्वारा जॉच प्रक्रिया के दौरान संबंधित नगर निकायों/डूडा से संबंधित इण्टरलाकिंग टाइल्स संबंधी कार्यों के अभिलेखों से साक्ष्य भी एकत्रित किया जायेगा।
6. ली गयी सैम्पलिंग (नमूना) एवं सीलबंद इन्टरलाकिंग टाइल्स को राजकीय प्रयोगशाला में भेजकर उसकी गुणवत्ता व मानक का परीक्षण किया जायें तथा प्राप्त रिपोर्ट को शासन को संदर्भित किया जायें।

उक्त जांच समिति से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी विस्तृत रिपोर्ट एक माह में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

21/3/2014

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय/निदेशक, सूडा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. श्री अविनाश कृष्ण,संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0, लखनऊ।
5. श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा. उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित उप/सहायक नगर आयुक्त को सूची उपलब्ध कराने व जांच में अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. मुख्य अभियंता, समस्त नगर निगम, उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से प्रदेश के समस्त मण्डलों के सी.एण्ड डी.एस. के अधिशासी अभियंताओं(सिविल)/ सदस्य जॉच समिति को सूचित करने का कष्ट करें।
9. समस्त अधिशासी आधिकारी नगर निकाय, उ0प्र0 को समिति को सूची उपलब्ध कराने व जांच में अपेक्षित सहयोग हेतु।
10. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0 को समिति को सूची उपलब्ध कराने व जांच में अपेक्षित सहयोग हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव